

क्रं./एफ-७३

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

/१/सा.प्र.वि./2022/७५५

भिलाई, दिनांक ५-९-२०२२

//आदेश//

श्री खबलू राम साहू आ० स्व० रामलाल साहू पम्प सहायक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक ०५.०९.२०२२ को ६२ वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम ५६ के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक ३०.०९.२०२२ अपरान्व को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक ५-९-२०२२

पृ.क्र./एफ-७३/१/सा.प्र.वि./2022/७५६

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त १/२, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त जोन क्रमांक ०३ नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
10. श्री खबलू राम साहू आ० स्व० रामलाल साहू पम्प सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई